न्यायालय उप जिलाधकारी तहसील–मेंहनगर, जनपद–आजमगढ़

वाद संख्या–32 / 16–12–2020 धारा–143 ज0 वि0 अधि0

मौजा–धिनहापुर परगना–बेलहाबास

श्री सूर्यनाथ सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान

बनाम

सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद प्रबन्धक डॉ0 अभय कुमार सिंह पुत्र श्री राकेश कुमार सिंह, श्री सूर्यनाथ सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान, ग्राम–धिनहापुर पोस्ट–गोपालपुर, तहसील–मेंहनगर, जिला–आजमगढ (उ0प्र0) द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि मौजा–छपरा सुल्तानपुर, में स्थित भूमि गाटा संख्या–186 रकबा–0.8757 हे0 यानि रकबा 875.70 वर्गमीटर भूमि में से 875.70 वर्गमी0 भूमि अकृषित भूमि है, धारा–143 के अन्तर्गत इसे अकृषित घोषित किया जाय। इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि विद्यालय के प्रयोग में लायी जा रही है। इस लिए तफतील आराजी को आबादी दर्ज करना न्यायोचित होगा। अन्त में निवेदन किया है कि नियम 135 के तहत मसतहत अधिकारियों से आख्या तलब कर तफतील आराजी को आबादी श्रेणी 6(2) दर्ज करने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में दिनांक 16–12–2020 को वाद दर्ज किया गया तथा तहसील–मेंहनगर से जाँच आख्या देने हेतु उ0 न्यायालय द्वारा प्रतिलिपि जारी किया गया। जो राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थलीय जाँच कर अपनी आख्या पर लेखपाल दिनांक 20–12–2020 को दी गयी। राजस्व निरीक्षक द्वारा भू–लेख नियमावली की धारा–135(1) के अन्तर्गत नियत प्रोफार्मा पर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की गयी कि गाटा संख्या–186 रकबा–0.8757 हे0 यानि रकबा 875.70 वर्गमीटर भूमि में से 875.70 वर्गमी0 कागजात में श्री सूर्यनाथ सिंह स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान, ग्राम–धिनहापुर पोस्ट–गोपालपुर, तहसील–मेंहनगर, जिला–आजमगढ (उ0प्र0) प्रबन्धक डॉ0 अभय कुमार सिंह पुत्र श्री राकेश कुमार सिंह के बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, जो खाता खतौनी पर अंकित है। हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट दी गयी है कि उक्त रकबे में सूर्या इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, स्थित है जिसे आख्या श्रेणी 6(2) कायम किया जा सकता है। इस वाद में किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी। मेरे द्वारा वाद व उसके अधिकार के तर्कों को सूना गया तथा पत्रावली पर तहसीलदार मेंहनगर की आख्या दिनाक 27–12–2020 का अवलोकन किया गया कि उक्त आराजी अकृषित प्रयोग में हो रही है। जिसे अकृषित घोषित किया जाना न्यायसंगत है। भू–लेख अधिनियम की धारा 135(1) के अन्तर्गत गैर कृषित भूमि के सम्बन्ध में विवरण हल्का लेखपाल / राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार मेंहनगर द्वारा देते हुए संस्तुति की गयी है।

कार्यालय उप जिलाधिकारी तहसील मेंहनगर-आजमगढ़

आदेश

अतः तहसीलदार मेंहनगर की आख्या दिनांक 27–12–2020 को स्वीकार करते हुए मौजा–धिनहापुर के गाटा संख्या–186 रकबा–0.8757 हे0 यानि रकबा 875.70 वर्गमीटर भूमि में से 875.70 वर्गमी0 जो सूर्या इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ग्राम–धिनहापुर पोस्ट–गोपालपुर, तहसील–मेंहनगर, जिला–आजमगढ़ (उ0प्र0) के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, को धारा–143 के अन्तर्गत अकृषित किया जाता है तथा उसे रूपया 35.20 के मालगुजारी में से मुक्त किया जाता है। परगना उक्त बरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सत्य-प्रतिलिपि छायाप्रति

दिनांकः– 27.12.2020
मिलानकर्ता
कुल शब्द सं० 280

कार्यालय उप जिलाधिकारी तह० मेंहनगर-आजमगढ़

(प्रियंका प्रियदर्शनी)
उप जिलाधिकारी, मेंहनगर

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित व घोषित।

दिनांकः– 27.12.2020
पेशकार
उपजिलाधिकारी
मेंहनगर, आजमगढ़

(प्रियंका प्रियदर्शनी)
उप जिलाधिकारी, मेंहनगर

कार्यालय उप जिलाधिकारी तह० मेंहनगर-आजमगढ़

ATTESTED